

9-5-22

प्रतापली पेश हुई। बल्लेबादी अनुपातित है।
बादी बल्लेबादी बल्लेबादी को न्यायालय समय तक कार-
कार आवास लगाई गई। फिर भी कोई उपस्थित
नहीं हुई। और ना ही प्रतिकारियों को तामीर हेतु
जोड़स दिये गये।

अतः प्रतापली सदम हाजरी अदम परकी में
अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 के तहत बरिज
को जाती है। प्रतापली लेसठ शुमार होकर -
सम्कार से नाम होकर दालिब दफ्तर है। निर्णय
पूर्व न्यायालय में सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

